राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 2137/2013/राजसमन्द

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन–द्वितीय, आबूरोड़ .....अपीलार्थी

बनाम

मै0 भारत सैनेट्री हार्डवेयर स्टोर,
देवगढ, राजसमन्द .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री ईश्वरी लाल वर्मा–सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.के.अजमेरा,
उप राजकीय अधिवक्ता .....अपीलार्थी की ओर से

श्री एस.सी.जैन,
अधिकृत अधिवक्ता .....प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 18/09/2015

निर्णय

अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा)के अपील संख्या 16/वेट/12–13 में पारित निर्णय दिनांक 27.06.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,घट–द्वितीय प्रतिकरापवंचन आबूरोड़(जसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.12.2012 के द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त किया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण द्वारा दिनांक 05.12.2012 को ट्रांसपोट चैकिंग के दौरान वाहन संख्या आर.जे.27जीबी/6161 को नेशनल हाईवे 27 हनुमान टेकरी रोड़ के पास, आबूरोड़ पर रूकवा कर चैक किया। कर निर्धारण अधिकारी ने माल से सम्बन्धित दस्तावेज चाहने पर वाहन चालक/माल प्रभारी श्री विजय सिंह ने कथन किया कि वाहन में सिरेमिक टाईल्स भरी है जो मोरबी से भरकर लाये है तथा देवगढ ले जा रहे है। परिवहनित माल के संबंध में वेट इन्वाईस संख्या 695 दिनांक 4.12.2012, जी.आर.नं. 986 दिनांक 4.12.2012 तथा घोषणा पत्र वेट–47 नं. 0991334 दिनांक 9.11.2012 वक्त जॉच पेश किये। प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच पर कर निर्धारण अधिकारी ने पाया कि घोषणा पत्र वेट–47 के पार्ट ए,बी,सी के कॉलम पूर्ण रूप से खाली पाये गये तथा दिनांक दिनांक, माह एवं मूल्य के कॉलमों को भी पंच किया जाना नहीं पाया गया। इस प्रकार व्यवहारी द्वारा कर योग्य एवं अधिसूचित श्रेणी के माल को रिक्त खाली एवं दिनांक माह एवं मूल्य के कॉलमों को बिना पंच किये घोषणा पत्र वेट–47 से परिवहनित कर राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम,2003 जिसे आगे "वेट अधिनियम कहा जायेगा" की धारा 76(6) का उल्लंघन होने से वाहन को निरूद्ध किया जाकर, परिवहनित माल सिरेमिक ग्लेज्ड टाईल्स कीमतन रू. 3,54,345/– पर शास्ति आरोपण हेतु, व्यवहारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस

18-9-2015

लगातार.....2

की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी के प्रोपराईटर एवं वाहन चालक माल प्रभारी श्री विजय सिंह ने उपस्थित होकर, लिखित में जवाब मय नया घोषणा पत्र वेट नं. 0966349 पेश किया। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रस्तुत जवाब को अस्वीकार कर, माल कीमतन रू. 3,54,345/– पर 30 प्रतिशत से शास्ति रू0 1,06,304/–प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरूद्ध आरोपित कर दी। कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर, प्रत्यर्थी–व्यवहारी ने प्रथम अपील विद्वान अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर, विद्वान अपीलीय अधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 27.06.2013 द्वारा आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया अपीलीय अधिकारी के उक्त निर्णिय से व्यथित होकर, अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गयी है।

अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि परिवहनित माल के साथ घोषणा पत्र वेट–47 के पार्ट ए,बी,सी के कॉलम पूर्ण रूप से खाली पाये गये तथा दिनांक दिनांक, माह एवं मूल्य के कॉलमों को भी पंच किया जाना नहीं पाया गया। इस प्रकार व्यवहारी द्वारा कर योग्य एवं अधिसूचित श्रेणी के माल को रिक्त खाली एवं दिनांक माह एवं मूल्य के कॉलमों को बिना पंच किये घोषणा पत्र वेट–47 से परिवहनित करना प्रत्यर्थी व्यवहारी की करापवंचन की स्पष्ट मनोदशा सिद्ध होती है। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यहारी के विरूद्ध जो शास्ति आरोपित की है वह विधिसम्मत है। अतः कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को बहाल रखते हुए, अपीलीय अधिकारी के निर्णय को अपास्त करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि कथन किया कि वक्त चैकिंग परिवहनित माल के साथ सभी दस्तावेज मौजूद थे केवल घोषणा पत्र में कॉलम खाली रह गये जो एक तकनीकी भूल है। फिर भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कारण बताओं नोटिस के साथ नया घोषणा पत्र नं. 0966349 प्रस्तुत कर दिया था। इसमें प्रत्यर्थी व्यवहारी की कोई करापवंचन की मंशा नहीं थी। कर निर्धारण अधिकारी ने भी इस करापंवचन की मनोदशा को सिद्ध नहीं किया था। उन्होंने अग्रिम कथन किया कि व्यवहारी द्वारा समस्त प्रविष्टिया घोषणा पत्र वेट–47 के पृष्ठ भाग में अंकित थी। पृष्ठ भाग में प्रविष्टियां करने का कारण विभिन्न व्यवहारियों से माल खरीदने से समस्त विवरण वैट–47 के मुख भाग पर नहीं आती है। पृष्ठ भाग पर समस्त प्रविष्टियां अंकित थी इसलिए ऐसे घोषणा पत्र को खाली नहीं माना जा सकता। अपने तर्क के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित एस.बी.सेल्स टेक्स रिविजन पिटीशन नं. 3/2011 हिरामणी फूड प्रोडक्ट्स बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी उड़नदस्ता, बांसवाड़ा निर्णय दिनांक 27.4.2013 प्रस्तुत करते हुए, विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

मैंनें दोनों पक्षों की बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया तथा प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि कि वाहन में सिरेमिक टाईल्स भरी थी जो मोरबी से देवगढ परिवहनित हो रही थी। परिवहनित

18-9-2015

लगातार.....3

माल के साथ वेट इन्वाईस संख्या 695 दिनांक 4.12.2012, जी.आर.नं. 986 दिनांक 4.12.2012 तथा घोषणा पत्र वेट–47 नं. 0991334 आदि वक्त जॉच मौजूद थे। केवल घोषणा पत्र में कॉलम खाली रह गये जो एक तकनीकी भूल थी। फिर भी व्यवहारी द्वारा कारण बताओं नोटिस के साथ नया घोषणा पत्र नं. 0966349 प्रस्तुत कर दिया था। इसमें प्रत्यर्थी व्यवहारी की कोई करापवंचन की मंशा नहीं होती है। कर निर्धारण अधिकारी ने भी इस करापंवचन की मनोदशा को सिद्ध नहीं किया था। यह सही है कि व्यवहारी द्वारा समस्त प्रविष्टिया घोषणा पत्र वेट–47 के पृष्ठ भाग में अंकित की हुई थी। पृष्ठ भाग में प्रविष्टियां करने का कारण विभिन्न व्यवहारियों से माल खरीदने से समस्त विवरण वैट–47 के मुख भाग पर नहीं आती है। पृष्ठ भाग पर समस्त प्रविष्टियां अंकित थी इसलिए ऐसे घोषणा पत्र को खाली नहीं माना जा सकता। इस प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय इस प्रकरण पर पूर्णतया लागू होने से अपीलार्थी–विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार होने योगय है।

फलतः अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी, भीलवाड़ा के निर्णय दिनांक 27.06.2013 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

18.9.2015

(ईश्वरी लाल वर्मा)
सदस्य